न्यायालय, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–सह–
विशेष न्यायाधीश, SC/ST (POA) Act, सीतामढ़ी।
परिवाद पत्र संख्या 37/2025

आदेश दिनाकः–16.04.2026

परिवादिनी की हाजिरी है। परिवादिनी ममता कुमारी ने यह वाद विकास कुमार, सूरज कुमार एवं रम्भू पासवान के विरूद्ध दाखिल की थी।

वाद पुकारा गया। पुकार पर परिवादिनी अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुई। परिवादिनी का कहना है कि अभियुक्तगण को जो पैसा दिये थे, ग्रामीण पंचो के समक्ष वापस कर दिया गया हैं यह मुकदमा स्वेच्छा से बिना किसी भय दबाव के वापस ले रही हूँ। केस समाप्त कर दिया जाए तो मुझे कोई आर्पात्त नहीं है। अभिलेख का अवलोकन किया। परिवादी की ओर से दिनांक 16.04.2026 को वाद वापसी का एक आवेदन दाखिल किया गया है जिसमें कथन किया है कि परिवादिनी अभियुक्तगण को जैसा दिये थे वो पैसा ग्रामीण पंचों एवं शुभ–चिंतकों की उपस्थिति में वापस कर दिये है। अभियुक्तगणों से ग्रामीण स्तर पर सुलह–समझौता करा दिया गया है। परिवादिनी स्वेच्छा से बिना किसी भय एवं दबाव के अपना परिवाद–पत्र वापस ले रही हूँ। इस आवेदन–पत्र के आधार पर प्रार्थी परिवादिनी के इस परिवाद–पत्र को विड्रॉल कर समाप्त करने की कृपा की जाए। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद को आगे चलाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है और ना ही अभिलेख पर पर्याप्त आधार मौजूद है।

अतः प्रश्नगत परिवाद–पत्र को वापसी के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

ह0/–
(राजीव कुमार–III)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
–सह–विशेष न्यायाधीश
सीतामढ़ी।
दिनांकः–16.04.2026